

Form No. SH-7**Notice to Registrar of any alteration of share capital**

[Pursuant to section 64(1) of the Companies Act, 2013
and rule 15 of the Companies (Share Capital and Debentures)
Rules, 2014]

**Form language**
☒ English

☐ Hindi

Refer instruction kit for filing the form.

*All fields marked in * are mandatory*

Company Information**1 Particulars of the company**

(a) *Corporate Identity Number (CIN)

(b) *Name of the Company

(c) *Address of the registered office of the company

(d) *Email ID of the company

2 Purpose of the form

- ☐ Increase in share capital independently by company
- ☐ Increase in number of members
- ☐ Increase in share capital with Central Government order
- ☐ Consolidation or division etc
- ☐ Redemption of redeemable preference shares
- ☐ Cancellation of unissued shares of one class and increase in shares of another class

3 In accordance with section 61(1) of the Companies Act, 2013, that by ☐ Ordinary ☐ Special

(a) resolution at the meeting of the members of the company held on (DD/MM/YYYY)

(b) Service request number (SRN) of related Form MGT-14

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi the 21st January, 2023

G.S.R. 43 (E).—In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 42, sub-clause (ii) of clause (a) of 43, sub-clause (d) of sub-section (1) of section 54, sub-section (2) of section 55, sub-sections (1) and (3) of section 56, sub-section (1) of section (62)m clause (f) of sub-section (2) of section 63, sub-section (10) of section 64, clause(b) of sub-section(3) of section 6,7, sub-sections (2) and (6) of section 68, sub-sections (9) and (10) of section 68, sub-sections (3) and (6) of section 71, sub-section (13) of section 71 and sub-sections (1) and (2) section 72, read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Share Capital and Debenture) Rules, 2014, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Companies (Share Capital and Debentures) Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force with effect from 23rd January 2023.

2. In the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014-

(a) for sub-rule (14) of rule 17, for sub-rule (14), the following sub-rule shall be substituted namely-

“(14) There shall be a declaration with the return filed with the Registrar in Form No. SH.11, signed by two directors of the company including the managing director, if any, certifying that the buy-back of securities has been made in compliance with the provisions of the Act and the rules made thereunder.”;

(b) in Annexure .-

(i) for Form No. SH-7, Form No. SH-8, and Form No. SH-9 the following forms shall be substituted, namely.-

[सेव करें](#)[जमा करें](#)

नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो क्रमशः झूठे बयान / प्रमाण पत्र के लिए दंड और झूठे सबूत के लिए सजा का प्रावधान करते हैं।

केवल कार्यालय उपयोग के लिए:

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

ई-प्ररूप फाइलिंग की तारीख (दिन/मास/वर्ष)

यह ई-प्ररूप इसके द्वारा पंजीकृत है

प्राधिकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर

डीएससी बॉक्स

हस्ताक्षर करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)

(iii) प्ररूप सं. एसएच-15 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 1/04/2013-CL-V, भाग-IV]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 265(अ) 31 मार्च, 2014 के तहत प्रकाशित किए गए थे और संख्यांक सा.का.नि. 335(अ), तारीख 04 मई, 2022 के तहत अंतिम बार संशोधित किए गए।

(ii) जहां तक उस तारीख के तुरंत बाद के वर्ष के लिए इसकी संभावनाओं का संबंध है, कि उस वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय के प्रबंधन के संबंध में उनके इरादों और वित्तीय संसाधनों की मात्रा और चरित्र को ध्यान में रखते हुए, जो उनके विचार में कंपनी को उपलब्ध होगा, कंपनी अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम होगी, जब वे देय होंगी और उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर दिवालिया घोषित नहीं की जाएंगी।

(iii) उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए अपनी राय बनाते समय निदेशकों ने देयताओं (भावी और आकस्मिक देयताओं सहित) को ध्यान में रखा है जैसे कि कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत बंद किया जा रहा था; और

(iv) वापस खरीदी गई प्रतिभूतियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया गया है और ऐसी पुनर्खरीद से संबंधित ब्यौरे इस रूप में दाखिल किए जा रहे हैं।

* डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना

डीएससी बॉक्स

* पदनाम

(निदेशक/प्रबंध निदेशक)

* निदेशक की पहचान संख्या

* डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना

डीएससी बॉक्स

* पदनाम

(निदेशक/प्रबंध निदेशक)

* डीआईएन

पेशेवर घोषणा

प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद के संबंध में अनुपालन किया गया है और इस तरह की पुनर्खरीद से संबंधित विवरण इस रूप में दाखिल किया जा रहा है।

* डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना

डीएससी बॉक्स

* द्वारा प्रमाणित ('व्यवहार में कंपनी सचिव')

* एसोसिएट या फेलो है:

☐ एसोसिएट ☐ फेलो

* पेशेवर के अभ्यास संख्या का प्रमाण पत्र

10	अन्य शीर्ष पचास शेयरधारक (ऊपर उल्लिखित के अलावा)		
11	अन्य		
12	कुल		

* शेयरधारकों की कुल संख्या (पुनर्खरीद से पहले और बाद दोनों के लिए)

9 प्रमोटरवार शेयरधारिता विवरण

क्र.सं.	प्रमोटरों के नाम	प्री- पुनर्खरीद					पुनर्खरीद के बाद				
		इक्विटी शेयर		अधिमाननी शेयर		अन्य, यदि कोई हो	इक्विटी शेयर		अधिमाननी शेयर		अन्य, यदि कोई हो
		क्षेत्रीक	क्षेत्रीख	क्षेत्रीक	क्षेत्रीख	प्रसारित होने वाला नाम	क्षेत्रीक	क्षेत्रीख	क्षेत्रीक	क्षेत्रीख	प्रसारित होने वाला नाम
1											
2											

पंक्ति

पंक्ति हटाएँ

संलग्नक

(क) * पुनर्खरीद विवरण

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चूनें

हटाएं

डाउनलोड

(ख) *बोर्ड के प्रस्ताव की प्रति

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चूनें

हटाएं

डाउनलोड

(ग) वैकल्पिक अनुलग्नक - यदि कोई हो

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चूनें

हटाएं

डाउनलोड

कंपनी की घोषणा

मुझे निदेशक मंडल द्वारा दिनांकित (दिन/मास/वर्ष) द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और जमा करने के लिए अधिकृत किया गया है। इस रूप में दिए गए सभी संलग्नक और जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही और सत्य हैं। इसके अलावा, निदेशक मंडल की ओर से, मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि कंपनी के मामलों और संभावनाओं की पूरी जांच की गई है और राय बनाई है-

(i) जिस तारीख को आम सभा बुलाई गई है, उसके तुरंत बाद ऐसा कोई आधार नहीं होगा जिसके आधार पर कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ पाई जा सके;

(ख) प्ररूप एमजीटी - 14की सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)	
6 (क) * अंतिम खरीद के पूरा होने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	
(ख) *प्रस्ताव खोलने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	
(ग) *प्रस्ताव के समापन की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	
(घ) *पुनर्खरीद पूरी होने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	
(ड) *उन सभी शेयरधारकों को विचार-भुगतान की तारीख जिनके पास से प्रतिभूतियों को वापस खरीद लिया गया है (दिन/मास/वर्ष)	

ऋण इक्विटी अनुपात

7 (क) *क्या 2:1 से अधिक अनुपात के लिए सरकारी अधिसूचना लागू है?	☐ हाँ ☐ नहीं
(ख) *कंपनी अनुमत पूंजी से ऋण और निःशुल्क भंडार अनुपात	☐ 2:1 ☐ 6:1
(ग) *पूंजी और निःशुल्क भंडार अनुपात के लिए पुनर्खरीद ऋण पूर्व	
(घ) *पूंजीगत पुनर्खरीद ऋण और निःशुल्क भंडार अनुपात	

8 प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद के बाद और उससे पहले शेयरधारिता पैटर्न

क्र.सं.	सुरक्षा धारकों की श्रेणी	पुनर्खरीद से पहले रखी गई प्रतिभूतियां (दिन/मास/वर्ष)	पुनर्खरीद के बाद रखी गई प्रतिभूतियां (दिन/मास/वर्ष)
1	सरकार (केंद्र और राज्य)		
2	सरकारी कंपनियां		
3	सार्वजनिक वित्तीय संस्थान		
4	राष्ट्रीयकृत या अन्य बैंक		
5	म्यूचुअल फंड		
6	वेंचर कैपिटल		
7	विदेशी होल्डिंग्स (विदेशी संस्थागत निवेशक, विदेशी कंपनियां, अनिवासी भारतीय, विदेशी वित्तीय संस्थान या विदेशी कारपोरेट निकाय)		
8	कारपोरेट निकाय (ऊपर उल्लिखित नहीं)		
9	निदेशक या निदेशकों के रिश्तेदार		

पुनर्खरीद के बाद इक्विटी शेयरों की संख्या				
पुनर्खरीद के बाद अधिमान शेयरों की कुल राशि (रु. में)				

(ग) अन्य

शेयर पूंजी का विवरण 	प्राधिकृत पूंजी	जारी की गई पूंजी	सदस्यता ली गई पूंजी	चुकता पूंजी
पुनर्खरीद से पहले शेयरों की संख्या				
प्रति शेयर नाममात्र राशि (रु. में)				
पुनर्खरीद से पहले शेयरों की कुल राशि (रु. में)				
शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद संख्या				
पुनर्खरीद कीमत				
पुनर्खरीद की कुल राशि				
पुनर्खरीद के बाद शेयरों की संख्या				
पुनर्खरीद के बाद शेयरों की कुल राशि (रु. में)				

(घ) *अवर्गीकृत प्राधिकारीकीशेयर पूंजी

4 'चुकता इक्विटी पूंजी', 'चुकता पूंजी' और 'निःशुल्क भंडार' का विवरण

*दिनांक (यथासंभव) (दिन/मास/वर्ष)	
* कुल चुकता इक्विटी शेयर पूंजी	
* कुल चुकता शेयर पूंजी	
* निः शुल्क भंडार	
* प्रतिभूति प्रीमियम	
* पुनर्खरीद की कुल राशि	

5 (क) * प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद के निदेशक मंडल के समाधान प्राधिकरण की तारीख
(दिन/मास/वर्ष)

* दिनांक (दिन/मास/वर्ष)

(क) इक्विटी शेयर पूंजी

* श्रेणियों की संख्या

शेयरों की श्रेणी 	प्राधिकृत पूंजी	जारी की गई पूंजी	सदस्यता ली गई पूंजी	चुक्ता पूंजी
पुनर्खरीद से पहले इक्विटी शेयरों की संख्या				
प्रति शेयर नाममात्र राशि (रु. में)				
पुनर्खरीद से पहले इक्विटी शेयरों की कुल राशि (रु. में)				
शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद संख्या				
पुनर्खरीद कीमत				
पुनर्खरीद की कुल राशि				
पुनर्खरीद के बाद इक्विटी शेयरों की संख्या				
पुनर्खरीद के बाद इक्विटी शेयरों की कुल राशि (रु. में)				

(ख) अधिमान शेयर पूंजी

* कक्षाओं की संख्या

शेयरों की श्रेणी 	प्राधिकृत पूंजी	जारी की गई पूंजी	सदस्यता ली गई पूंजी	चुक्ता पूंजी
प्री बायबैक के लिए अधिमान शेयरों की संख्या	200			
प्रति शेयर नाममात्र राशि (रु. में)				
प्री बाय-बैक प्री-बाय-बैक की कुल राशि (रु. में)				
शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की वापस खरीदी संख्या				
पुनर्खरीद कीमत				
पुनर्खरीद की कुल राशि				

(ii) प्ररूप सं. एसएच-11 के लिए, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्-

प्ररूप सं. एसएच-11

प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद के संबंध में वापसी

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 68 (10) तथा कंपनी (शेयर पूंजी तथा डिबेंचर) के नियम 27 (13) के अनुसरण में]



प्ररूप की भाषा

☒ अंग्रेज़ी

☐ हिंदी

प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें

* में चिह्नित सभी कालम अनिवार्य हैं

कंपनी की जानकारी

1 (क) * कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)

(ख) * कंपनी का नाम

(ग) * कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता

(घ) * कंपनी की ईमेल आईडी

(ङ) * प्ररूप एसएच-8 का एसआरएन

(च) * प्ररूप एसएच-9 का एसआरएन

2 पुनर्खरीद का स्रोत

चेकबॉक्स	स्रोत	— के अनुसार राशि	पुनर्खरीद के लिए उपयोग की गई राशि
☐	निःशुल्क भंडार		
☐	प्रतिभूति प्रीमियम खाता		
☐	किसी भी शेयर या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के नए निर्गम से प्राप्त आय		

3 पुनर्खरीद प्रतिभूतियों का विवरण

शेयर पूंजी

*डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित

डीएससी बॉक्स

* पदनाम



(निदेशक/प्रबंधनिदेशक)

*निदेशक की पहचान संख्या (डीआईएन)

सेव करें

जमा करें

नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो क्रमशः झूठे बयान / प्रमाण पत्र के लिए सजा और झूठे सबूत के लिए सजा का प्रावधान करते हैं।

केवल कार्यालय उपयोग के लिए:

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

ई-प्ररूप फाइलिंग की तारीख (दिन/मास/वर्ष)

यह ई-प्ररूप इसके द्वारा पंजीकृत है

प्राधिकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर

हस्ताक्षर करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)

डीएससी बॉक्स

(ii) *प्ररूप एमजीटी - 14 की सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

अनुलग्नक

(क) *परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चनें

दृशां

दाउनलोड

(ख) * लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चनें

दृशां

दाउनलोड

(ग) *नियम 17(3) के अनुसार शपथ पत्र

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चनें

दृशां

दाउनलोड

(घ) वैकल्पिक अनुलग्नक - यदि कोई हो

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चनें

दृशां

दाउनलोड

कंपनी की घोषणा

हम घोषणा करते हैं कि हमें कंपनी के लेखा परीक्षकों से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने कंपनी की स्थिति की जांच की है, विचाराधीन प्रतिभूतियों के लिए अनुमेय पूंजीगत भुगतान की राशि उनके विचार में ठीक से निर्धारित है और लेखापरीक्षित खाते जिनके आधार पर पुनर्खरीद के संदर्भ में गणना की जाती है, जो प्रस्ताव दस्तावेज की तारीख से छह महीने से अधिक पुराना नहीं है।

हम गंभीरता से पुष्टि करते हैं और घोषणा करते हैं कि हमने कंपनी के मामलों में पूरी जांच की है जिसके परिणामस्वरूप हमने एक राय बनाई है कि कंपनी अपनी कुल देनदारियों को पूरा करने में सक्षम है और कंपनी को इस घोषणा को करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर दिवालिया नहीं किया जाएगा।

हम गंभीरता से घोषणा करते हैं कि हमने इस कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों सहित कंपनी के मामलों की पूरी जांच की है और नोट किया है कि शेयरधारकों ने दिनांक (दिन/मास/वर्ष) *..... के एक विशेष समाधान और (दिन/मास/वर्ष) * को आयोजित बोर्ड द्वारा अपनी बैठक में पारित समाधान द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 68 के प्रावधानों के अनुसार * (अंकों में) * (शब्दों में) शेयरों या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद को मंजूरी दी है। इस दिन को * के * दिवस के रूप में सत्यापित किया गया।

* डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित

डीएससी बॉक्स

* पदनाम

(निदेशक/प्रबंधनिदेशक)

*निदेशक की पहचान संख्या (डीआईएन)



सत्यमेव जयते

प्ररूप सं. एसएच-9

प्ररूप की भाषा



अंग्रेज़ी



हिंदी

सॉल्वेंसी की घोषणा

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 68 (6) और कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 17 (3) के अनुसरण में]

प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें

* में चिह्नित सभी कालम अनिवार्य हैं

कंपनी की जानकारी

1 (क) * कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)

2 (क) * कंपनी का नाम

(ख) * कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता

(ग) * कंपनी की ईमेल आईडी

सूचीकरण विवरण

3 (क)* क्या कंपनी सूचीबद्ध है

हाँ



नहीं

(ख) स्टॉक एक्सचेंज का नाम

(ग) सूचीकरण की तारीख (दिन/मास/वर्ष)

(घ) नियुक्त मर्चेंट बैंकर्स की संख्या

(ङ) नियुक्त मर्चेंट बैंकर का नाम

अन्य विवरण

4 (क) * प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद को प्राधिकृत करने वाले निदेशक मंडल के समाधान प्राधिकरण की तारीख (दिन/मास/वर्ष)

(ख) (i) प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद को प्राधिकृत करने वाले सदस्यों के विशेष समाधान की तारीख (दिन/मास/वर्ष)

* पदनाम

(निदेशक/प्रबंधनिदेशक)

*निदेशक की पहचान संख्या

* डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित

डीएससी बॉक्स

* पदनाम

(निदेशक/प्रबंधनिदेशक)

*निदेशक की पहचान संख्या

सेव करें

जमा करें

नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो क्रमशः झूठे बयान / प्रमाण पत्र के लिए सजा और झूठे सबूत के लिए सजा का प्रावधान करते हैं।

केवल कार्यालय उपयोग के लिए:

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

ई-प्ररूप फाइलिंग की तारीख (दिन/मास/वर्ष)

यह ई-प्ररूप इसके द्वारा पंजीकृत है

प्राधिकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर

डीएससी बॉक्स

हस्ताक्षर करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)

☐ हाँ ☐ नहीं

संलग्नक

(क) लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (यदि लागू हो);

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चर्नें

ढ्ढाएं

ढानलुद

(ख) प्राप्त वैधानिक अनुमोदन (यदि कोई हो);

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चर्नें

ढ्ढाएं

ढानलुद

(ग) *लेखा परीक्षक (कों) द्वारा घोषणा;

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चर्नें

ढ्ढाएं

ढानलुद

(घ) *बोर्ड समाधान की प्रति;

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चर्नें

ढ्ढाएं

ढानलुद

(ङ) वैकल्पिक अनुलग्नक (कों) - यदि कोई हो

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चर्नें

ढ्ढाएं

ढानलुद

कंपनी की घोषणा

यह एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि इस प्ररूप में दिए गए सभी अनुलग्नक और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य और सही हैं। आगे घोषित की जाती है कि:

(क) धारा 68(3) की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।

(ख) जमाराशियों के पुनर्भुगतान अथवा उस पर ब्याज भुगतान, डिबेंचरों का मोचन अथवा उस पर ब्याज का भुगतान अथवा अधिमान शेयरों का मोचन अथवा किसी शेयरधारक को लाभांश का भुगतान अथवा किसी वित्तीय संस्थाओं अथवा बैंकिंग कंपनी को देय किसी मीयादी ऋण अथवा ब्याज के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं है और कंपनी को अधिनियम की धारा 70 के अर्थान्तर्गत कानून के प्रचालन द्वारा पुनर्खरीद के लिए प्रतिबद्ध नहीं है;

(ग) निदेशक मंडल ने कंपनी के मामलों और संभावनाओं की पूरी जांच की है और उन्होंने मान्यता बनाई है:

- प्रस्ताव पत्र की तारीख के तुरंत बाद वर्ष के लिए इसकी संभावनाओं के संबंध में, उस वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय के प्रबंधन के संबंध में उनके इरादों और वित्तीय संसाधनों की मात्रा और चरित्र को ध्यान में रखते हुए, जो उनके विचार में उस वर्ष के दौरान कंपनी के लिए उपलब्ध होंगे, कंपनी अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम होगी जब वे देय होंगी और उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर दिवालिया नहीं होंगी; और
- उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए अपनी मान्यता बनाने में, निदेशकों ने देनदारियों को ध्यान में रखा है जैसे कि कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 (संभावित और आकस्मिक देनदारियों सहित) के प्रावधानों के तहत बंद किया जा रहा था।

हम घोषणा करते हैं कि हमें कंपनी के लेखा परीक्षकों से एक रिपोर्ट मिली है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने कंपनी की स्थिति की जांच की है, विचाराधीन प्रतिभूतियों के लिए अनुमेय पूंजीगत भुगतान की राशि उनके विचार में ठीक से निर्धारित है और लेखापरीक्षित खाते जिनके आधार पर पुनर्खरीद के संदर्भ में गणना की जाती है, प्रस्ताव दस्तावेज की तारीख से छह महीने से अधिक पुराना नहीं है।

* डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित

डीएससी बॉक्स